रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2008/आषाढ़ 25, 1930

No. 392] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2008/ASADHA 25, 1930

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 529(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 310(अ) दिनांक 29 अप्रैल, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 28 अप्रैल, 2008 में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार कतिपय नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से जिस तिथि को राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, के आम जनता को उपलब्ध होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

और उक्त राजपत्र आम जनता को 29 अप्रैल, 2008 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और कोई आपत्ति और/या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

नियम

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2008

1. (i) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2008 कहा जाएगा ।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की अंतिम तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में नियम 5 के तहत क्रम संख्या 23 अर्थात् ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश के सामने कॉलम संख्या 7 के तहत निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"पूर्णिमा के दिन और इससे दो दिन पहले तथा दो दिन बाद जब यह स्मारक सूर्योदय से सूर्यास्त तथा अपराह्न 8.30 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक खुला रहेगा, के सिवाय यह प्रत्येक शुक्रवार को बंद रहेगा, सिवाय उन व्यक्तियों के लिए जो ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में 12.00 बजे से 14.00 बजे के बीच दोपहर की पारम्परिक नमाज अदा करते हैं तथा पुरातत्वीय अधिकारी, उनके एजेंट, अधीनस्थ कर्मचारी, वर्कमैन या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं ।"

[फा. सं. 11/1/2006-एम]

अंशु वैश्य, महानिदेशक एवं अपर सचिव

पाद टिप्पण : मुख्य नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) के पृष्ठ 519-525 पर प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :—

1. सं. का.आ. 3520, दिनांक 20 नवम्बर, 1966
2. सं. सा.का.नि. 663, दिनांक 1 मई, 1967
3. सं. का.आ. 5002, दिनांक 13 दिसम्बर, 1969
4. सं. का.आ. 935, दिनांक 16 फरवरी, 1971
5. सं. सा.का.नि. 90, दिनांक 30 जनवरी, 1991
6. सं. सा.का.नि. 306, दिनांक 10 जुलाई, 1996
7. सं. सा.का.नि. 799(अ), दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
8. सं. सा.का.नि. 800(अ), दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
9. सं. सा.का.नि. 848(अ), दिनांक 3 नवम्बर, 2000
10. सं. का.आ. 10(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2001
11. सं. सा.का.नि. 688(अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2001
12. सं. सा.का.नि. 372(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2003
13. सं. सा.का.नि. 112(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2008
14. सं. सा.का.नि. 164(अ), दिनांक 5 मार्च, 2008

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2008

G.S.R. 529(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, were published, as required by sub-section (1) of Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 28th April, 2008 *vide* Notification of the Government of India in the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India No. G.S.R. 310(E), dated the 29th April, 2008, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said Notification were available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th April, 2008.

And whereas no objections and/or suggestions were received;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, namely :—

RULES

Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment), Rules, 2008

1. (i) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment), Rules, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of final publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains , Rules, 1959, in the First Schedule under Rule 5 against Sl. No. 23 *i.e.* Taj Mahal, Agra, Uttar Pradesh, the following shall be substituted under Column No. 7 :—

"From sunrise to sunset, except on full moon days and two days preceding and two days following, when it shall be open from sunrise to sunset and from 8.30 p.m. to 12.30 a.m. The monument shall remain closed on every Friday, except to those offering customary afternoon prayers in the mosque in the Taj Mahal Complex between 12.00 hours to 14.00 hours and an Archaeological Officer, his agents, subordinates, workmen or any other Government servant on duty."

[F. No. 11/1/2006-M]

ANSHU VAISH, Director General & Addl. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated at pages 519-525 and subsequently amended *vide* :—

1. No. S.O. 3520, dated 20th November, 1966
2. No. G.S.R. 663, dated 1st May, 1967
3. No. S.O. 5002, dated 13th December, 1969
4. No. S.O. 935, dated 16th February, 1971
5. No. G.S.R. 90, dated 30th January, 1991
6. No. G.S.R. 306, dated 10th July, 1996
7. No. G.S.R. 799(E), dated 17th October, 2000
8. No. G.S.R. 800(E), dated 17th October, 2000
9. No. G.S.R. 848(E), dated 3rd November, 2000
10. No. S.O. 10(E), dated 5th January, 2001
11. No. G.S.R. 688(E), dated 24th September, 2001
12. No. G.S.R. 372(E), dated 30th April, 2003
13. No. G.S.R. 112(E), dated 28th February, 2008
14. No. G.S.R. 164(E), dated 5th March, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.